न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :- 33/2022

उनवान

घनश्याम पुत्र स्व0 घासीलाल जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।

2 कल्याणसहाय
3 मदनलाल
4 मोहनलाल } पि0 हरिनाराया जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रामपुरा तह0 शाहपुरा

5 ओमप्रकाश
6 सुरेश कुमार } पि0 बिरदूराम जाति जाट निवासी ग्राम रामपुरा तह0 शाहपुरा

7 सुनीता देवी पत्नि कालूराम जाति जाट निवासी ग्राम रामपुरा तहसील शाहपुरा

अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांकः 8.6.2022

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ख.नं. 2105/1 रकबा 0.13है0, 2106/2 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम रामपुरा तहसील शाहपुरा प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित है जिसका तहसीलदार शाहपुरा के आदेश कमांक/सीमा/ 2021/1236 दिनांक 30.5.2019 की पालना में दिनांक 21.6.2019 को सीमाज्ञान किया गया है। उक्त प्रार्थी की भूमि के पास अप्रार्थीगण 2 लगायत 7 की भूमि खसरा नम्बर 2105/2, 2108 व 2106/2 वाके ग्राम रामपुरा लगती हुई है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि की सीमाओं की सींव डोल, सीमा विवाद व सीमा को कांट काट कर अपनी ओर मिलाते रहते है तथा टोकने पर आमादा फिसाद कर शांति व्यवस्था भंग करते रहते है। जिसके कारण यह प्रार्थना पत्र सीमा निश्चयकरण (पत्थरगढी) का पेश करना आवश्यक हुआ । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया ।

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । वकील प्रार्थी की बहस सुनी । विद्वान प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को जाहिर करते हुए अवगत कराया कि प्रश्नागत आराजी का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 21.6.2019 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है पडौसी काश्तकार द्वारा पत्थगढी के अभाव में निर्माण कार्य में अडचन पैदा करते है ,इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किय जावे ।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 21.6.2019 को हल्का पटवारी के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है ,प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्राथी अपनी प्रश्नागत आराजी खसरा नम्बर 2105/1 रकबा 0.13है0, 2106/2 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम रामपुरा तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 21.6.2019 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 8.6.2022 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर